IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

योजनाओं में शिक्षण संस्थाओं हेतु भूखण्डों के पंजीकरण एवं आवंटन

चरण द्वितीय–फरवरी 2019

उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद

104 ,महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
1. अर्हतायें	4
2. आवेदन प्रक्रिया	4–5
3. नीलामी प्रक्रिया	5–6
4. आरक्षित मूल्य का निर्धारण	6
5. उच्चतम बोली की स्वीकृति	6
6. प्रदेशन पत्र	6–7
7. आवंटन की शर्ते	7–8
8. देय धनराशि का भुगतान	8–9
9. आरक्षण एंव फीस में छूट	09
10. भूखण्ड का कब्जा	9–10
11. आवंटन ,निरस्तीकण/पुर्नजीवन	10–11
12. पंजीकरण धनराशि की वापसी	11
13. अतिरिक्त भूमि का आवंटन	11
14. कर आदि की देयता	12
15. निर्माण की शर्ते	12
16. विवाद की दशा में	12
17. तथ्यों को छिपाना	13
18. शर्तो में संशोधन/परिवर्तन/परिवर्द्धन	13

1. अर्हतायें

1.1 भूखण्ड हेतु आवेदन करने वाली/नीलामी में भाग लेने वाली संस्था को सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम–1860 अथवा कंपनी अधिनियम–1965 के अन्तर्गत सोसाइटी, चैरिटेबल कम्पनी या ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है।

1.2 नीलामी की तिथि को संस्था का पंजीकरण न्यूनतम तीन वर्ष पुराना होना आवश्यक हो।

1.3 संस्था के पास स्कूल भूखण्ड पर निर्माण करने व चलाने हेतु पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध होने आवश्यक है।

1.4 आवेदक संस्था का मूल उदद्वेश्य शिक्षा का प्रचार–प्रसार एवं सामाजिक कार्य से संबंधित होना चाहिये।

1.5 संस्था साम्प्रदायिक एवं जातीय आधार पर गठित नहीं हो।

1.6 नवीन संस्था होने की स्थिति में संस्था के पदाधिकारियों का शिक्षा क्षेत्र में अनुभव, उनका योगदान तथा शिक्षा के प्रसार की परिकल्पना का स्वरूप प्रस्तुत करना होगा।

1.7 आवेदन करने वाले/नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को संस्था की ओर से अधिकृत होना आवश्यक है।

2. आवेदन प्रकिया

2.1 शैक्षिक भूखण्डों के निस्तारण हेतु दो लोकप्रिय समाचार–पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा। शैक्षिक भूखण्डों का विवरण परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने के साथ–साथ सम्बन्धित जोन, वृत्त,खण्ड कार्यालय एवं सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी अंकित/प्रदर्शित किया जायेगा।

2.2 शैक्षिक संस्था भूखण्ड के निस्तारण हेतु विज्ञापन, नोटिस बोर्ड एवं परिषद वेबासाईट पर भूखण्ड का पूर्ण विवरण यथा शहर/योजना का नाम, भूखण्ड संख्या, भूखण्ड का क्षेत्रफल, निर्धारित लीज दर प्रदर्शित किया जायेगा। भूखण्ड की दर में कार्नर शुल्क(यथा स्थिति) जोड़ा जायेगा।

2.3 इच्छुक आवेदक संस्थाओं से आवेदन/प्रस्ताव अर्हता सम्बन्धी आवश्यक प्रपत्रों की प्रतियाँ आवेदन–पत्र में दर्शाये गये, एमजंक्शन के पोर्टल पर दिनांक 10.02.2019 से दिनांक 02.03.2019 को अपरान्ह 2.30 तक ही अपलोड किये जायेगे। जोनल अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को परीक्षण तथा शार्टलिस्ट किया जायेगा। निर्धारित अवधि के उपरान्त कोई आवेदन पत्र प्राप्त/ग्राहय नहीं होगा। समिति में संबंधित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता तथा संबंधित खण्ड के सहायक लेखाधिकारी(सदस्य) एवं संबंधित सहायक आवास आयुक्त /सम्पत्ति प्रबन्धक संयोजक होगे।

2.4 समिति द्वारा जाँच/शार्टलिस्ट करने के उपरान्त वैध/पात्र आवेदन पत्रों को संबंधित जोनल आयुक्तों द्वारा दिनांक 05.03.2019 तक बैंक/एमजंक्शन को वापस किये जायेगें। अपात्र आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में सूचना संबंधित संस्थाओं को बैंक/एमजंक्शन द्वारा दी जायेगी। आवेदन शुल्क वापस नहीं होगा।

2.5 पात्र संस्थाओं को नीलामी में भाग लेने की सूचना संबंधित जोन कार्यालय/सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय द्वारा समयान्तर्गत दी जायेगी।

2.6 इच्छुक संस्थाएं एक से अधिक भूखण्ड के लिए आवेदन कर सकती है, परन्तु निविदा में भाग लेने हेतु निर्धारित बैंक खाते में आवेदित भूखण्डों हेतु निर्धारित टोकन धनराशि जमा होनी चाहिए।

2.7 आवेदन पत्र का प्रारूप परिषद की वेबसाईट www.upavp.in एवं एमजंक्शन की वेबसाइट upavp.mjunction.in से प्राप्त किये जा सकते हैं। भरे हुए आवेदन–पत्र एवं वांछित प्रपत्र एमजंक्शन की ई–मेल आई0डी0 upavp.helpdesk@mjunction.in पर जमा किये जायेगें।

2.8 इच्छुक संस्था को रु0 5000.00 का आवेदन शुल्क ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान करना होगा। निर्धारित भूखण्ड मूल्य का 10 प्रतिशत धनराशि(टोकन धनराशि) नीलामी में भाग लेने से दो दिन पूर्व तक ऑनलाइन जमा की जायेगी। आवेदन शुल्क की धनराशि वापस नहीं की जायेगी। यह धनराशि Not Refundable होगी।

3.नीलामी प्रक्रिया

3.1 इच्छुक संस्था/संस्थायें शैक्षिक भूखण्ड के लिए ई–नीलामी में भाग लेने से पूर्व स्थल पर भूखण्ड का निरीक्षण कर सकते हैं।

3.2 शैक्षिक भूखण्डों को ई–नीलामी से निस्तारण के लिए यथा प्रचलित सामान्य व्यवस्था निर्णायक मण्डल की अध्यक्षता अपर/संयुक्त/उप आवास आयुक्त(जोन) द्वारा की जायेगी। निर्णायक मण्उल में अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, सहायक आवास आयुक्त, सम्पत्ति प्रबन्धक, जिला अधिकारी के प्रतिनिधि, जहाँ जहाँ विकास प्राधिकरण है उनके सचिव/अपर सचिव नामित सदस्य होगें।

3.3 बैंक/एमजंक्शन ई–आक्शन नीलामी में प्राप्त बोलियों को नीलामी तिथि को ही अथवा अगले कार्य दिवस मुख्यालय को अग्रसारित करेंगे।

3.4 स्कूल भूखण्डों के विरूद्ध यदि एकल बोली प्राप्त होती है तो ऐसी स्थिति में सामान्यतया विचार नहीं किया जायेगा। यदि प्राप्त उच्चतम् एकल बोली पर विचार किया जाना आवश्यक है, तो जोनल आयुक्त द्वारा संस्तुति सहित आवास आयुक्त को विचारार्थ प्रेषित की जायेगी जिस पर आवास आयुक्त के स्तर से गठित समिति के माध्यम से निर्णय लिया जायेगा।

3.5 नीलामी बोली में वृद्धि न्यूनतम रु0 10.00 प्रति वर्ग मीटर व अधिकतम रु0 500.00 प्रति वर्ग मीटर की दर से अनुमन्य होगी।

4.आरक्षित मूल्य का निर्धारण

4.1 भूखण्ड के आरक्षित दर का निर्धारण योजना प्रारम्भ होने(प्रथम पंजीकरण खोलने की तिथि) से 10 वर्षो के पश्चात नीलामी की तिथि पर प्रचलित परिषद योजना के सेक्टर/योजना के आवासीय दर पर किया जायेगा। जिन योजनाओं में 10 वर्ष पूर्ण नहीं हुए है, उनमें परिषद सेक्टर/ योजना के आवासीय दर के 50 प्रतिशत के समतुल्य किया जायेगा। भूखण्ड के कार्नर होने की स्थिति में 10 प्रतिशत कार्नर शुल्क एवं 10 प्रतिशत लीजरेन्ट जोड़कर आरक्षित मूल्य का निर्धारण किया जायेगा।

5. उच्चतम बोली की स्वीकृति

5.1	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव	रु0 3.00 करोड़ तक आरक्षित मूल्य के भूखण्ड हेतु।
5.2	आवास आयुक्त	रु0 3.00 करोड़ से अधिक आरक्षित मूल्य के भूखण्डों हेतु।

6. प्रदेशन पत्र

प्रश्नगत शैक्षिक भूखण्ड के विरूद्ध प्राप्त उच्चतम बोली की सक्षम स्तर (उपरोक्तानुसार) से स्वीकृति के उपरान्त सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय द्वारा संस्था के पक्ष में प्रदेशन पत्र निर्गत किया जायेगा।

7. आवंटन की शर्तें

7.1 भूखण्ड ''जहाँ है जैसे हैं'' कि स्थिति के अनुसार आफर किये जा रहें हैं। किसी भूखण्ड के किसी मा0 न्यायालय के आदेशों से कब्जा देने में कठिनाई की स्थिति में अन्यत्र वैकल्पिक भूखण्ड का आवंटन या कब्जा दिया जाना स्वीकार्य नहीं होगा।

7.2 विभिन्न स्तर के शैक्षिक भूखण्ड का उपयोग सम्बन्धित विभाग (यथा–बेसिक/ माध्यमिक/उच्च शिक्षा/सी0बी0एस0ई0/आई0एस0सी0 बोर्ड आदि) के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार होगा।

7.3 प्रश्नगत प्रकरण के उपरान्त अपरिहार्य कारणों से शैक्षिक भूखण्डों की संख्या एवं क्षेत्रफल में कमी/वृद्धि हो सकती है, जिस हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा।

7.4 किसी सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्य किसी कारणों से यदि परिषद द्वारा सूचित किये गये शैक्षिक संस्था भूखण्डों के मूल्य, क्षेत्रफल अथवा शर्तों में परिवर्तन करना पड़ता है तो तद्नुसार आवेदक संस्था को मानना होगा तथा इस विषय पर संस्था का किसी प्रकार का दावा या अधिकार मान्य नहीं होगा।

7.5 संस्था के पास प्रस्तावित विद्यालय/शिक्षण संस्था को चलाने हेतु पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध होने चाहिये।

7.6 अधिमान्य होगा कि संस्था के पदाधिकारियों का शिक्षा–क्षेत्र में अनुभव योगदान तथा शिक्षा के प्रसार में योगदान हो।

7.7 उ0प्र0 शासन/मा0 न्यायालय द्वारा प्रतिकर बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में यदि कोई आदेश पारित किये जाते है तो उसे संस्था ''शैक्षिक संस्था भूखण्ड'' को भी परिवर्तित मूल्य देय होगा।

7.8 संस्था को भूमि अन्तरण करने, किराये पर देने अथवा विक्रय करने का अधिकार नहीं होगा। इस शर्त के उल्लंघन से परिषद द्वारा लीज डीड को निरस्त किया जा सकेगा।

7.9 शिक्षण–संस्था के संचालन समिति में आवास आयुक्त अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति सदस्य होंगे तथा उन्हें संचालन समिति की सभी बैठकों में विशेष आमंत्री के रूप में बुलाया जायेगा।

8. देयता धनराशि का भुगतान

8.1 विज्ञापन में आवेदन शुल्क, भूखण्डों की आरक्षित दर तथा देय मूल्य एवं तद्नुसार देय टोकन धनराशि प्रदर्शित किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के परिवर्तन पर तद्नुसार दरें/मूल्य परिवर्तनीय है।

8.2 ''शैक्षिक संस्था भूखण्ड'' हेतु इच्छुक संस्था द्वारा दी गयी उच्चतम बोली/आफर की स्वीकृति उपरान्त संबंधित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय द्वारा प्रदेशन पत्र निर्गत किये जायेगें जिसमें भूमि के अनुसार मूल्य, लीज मूल्य/लीज मूल्य/धनराशि आदि व भुगतान विषयक सूचनायें विस्तार से दी जायेंगी।

8.3 ''शैक्षिक संस्था भूखण्ड'' के लिये टोकन धनराशि सहित कुल मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि (टोकन धनराशि सहित) प्रदेशन पत्र के निर्गमन की तिथि से 90 दिन के अन्दर जमा करनी होगी।

8.4 भूखण्ड का कब्जा 25 प्रतिशत धनराशि जमा करने के उपरान्त देय होगा। शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवासीय सम्पत्तियों हेतु अनुमन्य ब्याज दरों सहित 4 वार्षिक किश्तों में भुगतान करना होगा।

8.5 25 प्रतिशत देय धनराशि परिषद खाते में जमा करने के उपरान्त 30 दिवस में पंजीकृत लीज डीड़ कराना आवश्यक है। यदि आवेदक संस्था विलम्ब करती है तो पंजीकृत लीज डीड़ कराने हेतु निर्धारित 30 दिवस की समय सीमा के उपरान्त आवेदक संस्था को रू0 500/– प्रतिदिन की दर से अधिकतम 30 दिवस तक विलम्ब शुल्क सहित अतिरिक्त समय अनुमन्य होगा।

8.6 30 दिवस तक विलम्ब शुल्क सहित भी लीज डीड़ निष्पादित न कराने पर उपरोक्तानुसार पंजीकृत नोटिस देते हुए निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

8.7 संस्था द्वारा लीज डीड़ के समय संबंधित प्रशासकीय विभाग के सक्षम स्तर से निर्गत मान्यता प्रमाण पत्र एवं आवश्यकतानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करना होगा। लीज डीड का निष्पादन व्यय संस्था को वहन करना होगा।

9. आरक्षण एवं फीस में छूट

9.1 शैक्षणिक संस्थाओं को समाज के सभी वर्गों के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों को प्रवेश के लिए 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित कर प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही कुल देय फीस में 50 प्रशित की छूट भी दिया जाना अनिवार्य होगा।

9.2 बच्चों को प्रवेश में आरक्षण अथवा शिक्षण शुल्क में छूट की देयता आदि के प्राविधान प्रदेश सरकार के सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग की सुसंगत नीतियों/शासनादेशों (समय–समय पर यथा संशोधित) से शासित होंगे।

9.3 संस्था परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों का प्रवेश अनिवार्य रूप करेगी तथा फीस में 50 प्रतिशत की छूट प्राप्त करायेगी। संस्था द्वारा ऐसा न करने पर आवंटन निरस्तीकरण पर विचार किया जा सकता है।

10. भूखण्ड का कब्जा

10.1 भूखण्ड का कब्जा ''जहाँ है, जैसे है'' के आधार पर दिया जायेगा। इच्छुक संस्था नीलामी में भाग लेने से पूर्व मौके का भ्रमण कर सकते हैं।

10.2 भूमि की माप घट/बढ़ जाने पर अथवा अपरिहार्य स्थलीय कारणों से मौके पर भूमि के कब्जे विषयक विवाद पर परिषद द्वारा किसी प्रकार का अनुतोष अथवा बैकल्पिक भूखण्ड नहीं दिया जायेगा।

10.4 संस्था को शैक्षिक भूखण्ड का कब्जा संबंधित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय द्वारा पंजीकृत लीज–डीड निष्पादित होने के पश्चात् ही संबंधित अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड कार्यालय द्वारा 15 दिन के अन्दर दिया जायेगा।

10.3 इस दशा में आवंटी को परिषद के नियमानुसार जमा धनराशि वापसी की कार्यवाही की जायेगी।

10.4 संस्था को शैक्षिक भूखण्ड का कब्जा संबंधित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय द्वारा पंजीकृत लीज डीड निष्पादित होने के पश्चात ही संबंधित अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड कार्यालय द्वारा 15 दिन के अन्दर दिया जायेगा।

10.5 आवेदक संस्था द्वारा पंजीकृत लीज डीड निष्पादन के उपरान्त''शैक्षिक भूखण्ड'' का भौतिक कब्जा उल्लिखित/निर्धारित समय सीमा में नहीं लिया जाता है तो आवेदक संस्था को रु0 500/–प्रतिदिन के आधार पर अधिकतम 30 दिवस तक रख–रखाव शुल्क भी नियमानुसार देय होगा। इसके उपरान्त यथा प्राविधान निरस्तीकरण सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।

10.6 सूचित की गयी तिथि से दो माह तक कब्जा प्राप्त न करने की स्थिति में आवास आयुक्त को अधिकार होगा कि शैक्षिक संस्था को आवंटित भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया जाये। ऐसी दशा में टोकन धनराशि(भूखण्ड मूल्य की 10 प्रतिशत) जब्त कर अवशेष धनराशि बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी।

11 आवंटन ,निरस्तीकरण/पुर्नजीवन

11.1 ''शैक्षिक भूखण्ड'' का आवंटन पत्र निर्गत होने के उपरान्त निर्धारित देय त्रैमासिक किश्तों में लगातार दो किश्तों की अदायगी न करने की दशा में भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

11.2 निरस्तीकरण से पूर्व धनराशि जमा करने के लिए संस्था को नियमानुसार एक नोटिस पत्र पंजीकृत डाक से भेजा जायेगा। इसकी पुष्टि सम्पत्ति पंजिका एवं पत्रावली में सुरक्षित रखी जायेगी।

11.3 संस्था को नोटिस निर्गत करने के उपरान्त भी यदि भुगतान नहीं किया जाता है तो''शैक्षिक भूखण्ड'' का आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही स्वीकृति के सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर की जायेगी।

11.4 भूखण्ड का आवंटन निरस्त किये जाने के उपरान्त 3 माह तक की सीमा तक ही भूखण्ड का पुर्नजीवन आवास आयुक्त के स्तर से किया जा सकेगा।

11.5 पुर्नजीवन की स्थिति में पुर्नजीवन शुल्क के रूप में टोकन धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि तथा सम्पूर्ण अवशेष धनराशि देय ब्याज सहित आवंटी संस्था को भुगतान करनी होगी।

11.6 03 माह की समय सीमा के पश्चात पुर्नजीवन नही किया जायेगा तथा नियमानुसार कटौती के पश्चात अवशेष धनराशि बिना किसी ब्याज के वापसी की कार्यवाही सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय द्वारा की जायेगी।

12. पंजीकरण धनराशि की वापसी

12.1 यदि आवेदक संस्था के पक्ष में ''शैक्षिक भूखण्ड'' के आवंटन का निर्णय नहीं होता है तो सम्बन्धित संस्था की जमा पंजीकरण धनराशि की वापसी संस्था के खाते में इंडसइंड बैक द्वारा की जायेगी।

12.2 यदि कोई आवेदक ''शैक्षिक भूखण्ड'' के नीलामी स्वीकृति के बाद उक्त भूखण्ड को निरस्त कराकर धनराशि की वापसी चाहता है, तो आवंटन के एक माह के अन्दर आवेदन करने पर टोकन धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि तथा एक माह पश्चात् सम्पूर्ण टोकन धनराशि जब्त करली जायेगी।

12.3 यदि कोई आवेदक संस्था पंजीकरण धनराशि नीलामी की स्वीकृति से पूर्व वापस लेना चाहते हैं तो उन्हें टोकन धनराशि की 20 प्रतिशत धनराशि की कटौती करते हुएं शेष धनराशि बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी।

13. अतिरिक्त भूमि का आवंटन

13.1 स्थल पर अतिरिक्त भूमि की उपलब्धता होने पर सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य वास्तुविद नियोजक के अभिमत के उपरान्त अपर आवास आयुक्त एवं सचिव की अध्यक्षता में जोनल अधिकारी, संयुक्त आवास आयुक्त/उप आवास आयुक्त (स0प्र0) की संस्तुति पर आवास आयुक्त द्वारा लिया जायेगा। सरकारी विद्यालयों हेतु सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्धारित मानक से अतिरिक्त भूमि का आवंटन वर्तमान सेक्टर/योजना रेट(दर) पर किया जायेगा।

14. कर आदि की देयता

14.1 आवंटित शैक्षिक संस्था भूखण्ड के संबंध में नगर निगम/नगर पालिका परिषद अथवा अन्य किसी विभाग द्वारा लगाये गये समस्त कर आवंटी संस्था को स्वयं वहन करने होगें।

15. निर्माण की शर्ते

15.1 संस्था को''शैक्षिक भूखण्ड'' की लीज डीड के निष्पादन की तिथि से 03 वर्ष के अन्दर निर्माण कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा। उल्लंखन होने की दशा में लीज डीड निरस्त कर दी जायेगी।

15.2 संस्था को शिक्षण संस्था''भवन'' का मानचित्र परिषद के समक्ष स्तर से स्वीकृत कराकर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करना होगा। स्कूल भूखण्ड का अनुमन्य भू:आच्छादन(Ground Coverage) के न्यूनतम 25 प्रतिशत क्षेत्रफल का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर निर्माण माना जायेगा।

15.3 नियम अवधि (03 वर्ष) में निर्माण पूर्ण न करने अर्थात निर्माण की शर्त का उल्लंघन होने की दशा में संस्था को एक पंजीकृत नोटिस प्रेषित करने के उपरान्त नियमानुसार कटौती करते हुए संस्था की लीज डीड निरस्त कर दी जायेगी। साथ कब्जा वापसी की कार्यवाही भी की जायेगी।

15.4 निर्माण कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में आवेदन प्राप्त होने पर अतिरिक्त समय भूखण्ड के स्कूल प्रयोजन के प्रचलित मूल्य(सर्किल रेट के आधार पर) 5 प्रतिशत प्रति वर्ष सरचार्ज लेकर अधिकतम 05 वर्षो तक दिया जायेगा।

15.5 जिस उद्देश्य एवं प्रयोजन हेतु भूखण्ड का आवंटन किया गया है, उसी उपयोग में लाया जायेगा। उल्लंघन की स्थिति में लीज निरस्त करते हुए परिषद द्वारा पुनः प्रवेश (Re-entry) की कार्यवाही की जायेगी।

15.6 संस्था पर परिषद तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर बनाये गये नियम तथा गाइड लाइन्स, एवं शर्ते प्रभावी होंगी।

16. विवाद की दशा में

16.1 किसी विवाद की दशा में आवास आयुक्त,उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद का निर्णय अन्तिम होगा।

17. तथ्यों को छिपाना

17.1 आवेदक द्वारा दी गयी सूचनायें अथवा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों की वैधता अप्रमाणित होती है, या विवरण असत्य पाया जाता है, तो आवास आयुक्त, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद को ''शैक्षिक संस्था भूखण्ड'' का प्रदेशन/आवन्टन निरस्त करने तथा जमा की गयी धनराशि को जब्त करने/आंशिक जब्त करने/ बिना ब्याज वापस करने का पूर्ण अधिकार होगा।

18. शर्तो में संशोधन/परिवर्तन/परिवर्द्धन

18.1 उपरोक्त शर्तो में संशोधन/परिवर्तन/परिवर्द्धन करने का पूर्ण अधिकार आवास आयुक्त/उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा।

19. उपरोक्त के अतिरिक्त जिन प्राविधानों का समावेश नहीं हो सका है, के विषय में परिषद की संस्थागत भूखण्डों (Institutional plots) एवं लीज संबंधी प्रचलित नियम/शर्ते प्रभावी होंगी।

Check list/Documents required-

1- Society/Trust Registration/Documents.
2- 3 Year Balance sheet.
3- Recognition of the board.
4- Incase of new Institutions, the Experience of the Institutional heads and their presentation regarding their respective fields is required.

Note-The complete application with documents shall be uploaded by the firm on upavp.helpdesk@mjunction.in